



नागरिक केन्द्रिक प्रशासन सभी नागरिकों के लिए स्थायी सूचना

द्वितीय एआरसी की 12वीं प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के अनुसार, निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2009 में नागरिक केन्द्रिक कोर समिति का गठन किया गया था ।

1. चिह्नित नागरिक चार्टर में एक या एक से अधिक विशेष दिशा-निर्देश पर जो कार्य किया जाता है, उसे उपभोक्ता निकाय/ नागरिक से प्रतिपुष्टि करना ।
2. उपरोक्त(1) के आधार पर नियमित मॉनिटरिंग का प्रस्तावित उपाय और मूल्यांकन करना ।
3. उपभोक्ता के लाभ के बेहतर संरक्षण हेतु बढ़ते हुए पारदर्शिता और पारस्परिक क्रिया के तरीकों व उपायों के लिए सुझाव, जिसके अनुसार द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति के प्रतिवेदन(ख) के पैरा 10.9, 10.4.4 और 8.3.3 के अन्तर्गत विस्तार से अनुशंसा बनाई जाए ।

भारत का कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पत्तन की सेवा लेता है और पत्तन की सेवा से प्रभावित होता है, तो उनके द्वारा (हिन्दी या अँग्रेजी में) निम्नलिखित सदस्यों में से किसी को मेल से या ई-मेल से या फ़ैक्स से या व्यक्तिगत रूप से फीड-बैक देता है तो पत्तन उसका स्वागत करता है।

- i. श्रीमती शर्मिष्ठा प्रधान वरिष्ठ उप सचिव तथा समिति के प्रधान - 15 स्ट्रैंड रोड, कोल-1 फ़ैक्स 22304901/ई-मेल secy@kopt.in)
- ii. श्री गौतम चक्रवर्ती, सुरक्षा सलाहकार, केडीएस और कनवेनर, पी-65 सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता -700 043 (फ़ैक्स 03324392443/ईमेल gch@kopt.in).

- i. श्री अमल दत्त, महाप्रबंधक, प्रशासन, हल्दिया गोदी परिसर, (फोन.(91-3224)263171,264943/ईमेल: akdutta@kopt.in)
- ii. कैप्टन राजेश रंजन श्रीवास्तव, उपडीएमडी-11(15 स्ट्रैण्ड रोड, कोल-1 (फैक्स: 22304901/ई-मेल : rajesh@kopt.in)
- iii. श्रीमती पूर्वा मंडल, उप भूमि प्रबंधक(15 स्ट्रैण्ड रोड, कोल-1 फ़ैक्स: 22304901)

(गौतम चक्रवर्ती)
सुरक्षा सलाहकार और संयोजक
नागरिक केन्द्रिक कोर समिति